दिनांक 23.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 23/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

साइबर आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरणों में साइबर काइम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ितों के खातों में ठगी के रूपयें वापस कराने में सफलता प्राप्त की गयी।

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, के निर्देशानुसार साइबर क्राइम की चुनौतियों के दृष्टिगत साइबर क्राइम उ0प्र0 पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस कार्मिको को साइबर क्राइम के अभियोगो के सफल अनावरण सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दुओ पर (दिनांक 15.09.2021 से 30.09.2021 तक) प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

विगत वर्षो में साइबर ठगों द्वारा सुदूर राज्यों में बैठकर आनलाइन साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के अपराध के सम्बन्ध में साइबर काइम उ0प्र0 पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए यथा सम्भव आनलाइन साइबर ठगी से पीड़ित व्यक्तियों के ठगे गये रूपये वापस कराने में समय–समय उल्लेखनीय सफलता पर प्राप्त की गयी है। **अभी तक 18–परिक्षेत्रीय साइबर काइम थानों द्वारा अभियोगो से सम्बन्धित प्रकरणों में कुल रूपये–2,02,35,407/(02 करोड़ 02 लाख 35 हजार 407 रूपये)–बरामद किये हैं तथा रूपये–5,00,99,534/– (05 करोड़ 99 हजार 534 रूपये)बैंको में फीज करायें गये हैं।**

साइबर काइम थानों द्वारा अभियोगो के अतिरिक्त भी थानों पर आने वाली शिकायतों में कार्यवाही करते हुए मुख्य रूप से निम्न पीड़ितों के रूपये वापस कराये गये हैं।

1. परिक्षेत्रीय साइबर काइम थाना बरेली द्वारा आवेदक श्री होरीलाल के बैंक खाते में साइबर अपराधियों द्वारा ठगे गये रूपये–2,76,000/– इनके खाते में वापस कराये गये।
2. परिक्षेत्रीय साइबर काइम थाना चित्रकूट धाम द्वारा शिकायतकर्ता श्री अब्दुल हकीम अन्सारी के साइबर ठगी में गये रूपये–10,27,174/– में से रूपये–7,39,793/– इनके खातें में वापस कराये गये।
3. परिक्षेत्रीय साइबर काइम थाना सहारनपुर द्वारा शिकायतकर्ता श्री सचिन कुमार के ठगी में गये रूपये–4,00,000/– इनके खाते में वापस कराये गये।

4. परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना अलीगढ़ द्वारा शिकायतकर्ता सुश्री अनुपमा तिवारी के ठगी में गये 1,63,000/—रूपये में से रूपये—90,000/— इनके खाते में वापस कराये गये।
5. परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना प्रयागराज द्वारा आवेदक श्री अखिलेश मिश्रा के साइबर ठगी में गये रूपये—1,24,000/— में से रूपये—94,000/—,आवेदक श्री गौरव सिंह के साइबर ठगी में गये रूपयें 3,15,998/— तथा आवेदक डॉ0 आनन्द कुमार के खातें से साइबर ठगी में गये रूपये—1,25,100/ इनके खातों में वापस कराये गये।
6. परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद द्वारा आवेदक श्री मयंक अग्रवाल के साइबर ठगी में गये रूपये—1,10,485/— इनके खाते में वापस कराये गये।
7. परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना वाराणसी द्वारा आवेदक श्री अजय श्रवण तिवारी के साइबर ठगी में गये रूपये— 9,999 व आवेदक श्री सुजीत कुमार राय के रूपये—72,092/— तथा आवेदक श्री सुनील कुमार गुप्ता के रूपये—56,584/— इनके खातों में वापस कराये गये।
8. परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना लखनऊ द्वारा आनलाइन साइबर ठगी से सम्बन्धित शिकायतकर्ता श्री संजीव शुक्ला के रूपये—1,60,291/—, शिकायतकर्ता श्री राम सिंह के रूपये 3,46,000/—, शिकायतकर्ता कैलाशचन्द उपाध्याय के रूपये—2,18,000/—, शिकायतकर्ता प्रदीप यादव के रूपये—2,46,000/— तथा शिकायतकर्ता श्री अरविन्द द्विवेदी के रूपये 2,20,000/— इनके खातों में वापस करायें गये।

9- परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना गौतमबुद्धनगर द्वारा आनलाइन साइबर ठगी से सम्बन्धित शिकायतकर्ता रिटायर्ड कर्नल श्री रणवीर सिंह के रूपये 1,40,997/—, शिकायतकर्ता श्री सुमित अग्रवाल के रूपये— 95,000/—, शिकायतकर्ता श्री गोपाल शर्मा के रूपये—80,000/—, शिकायतकर्ता श्री दीपक सक्सेना के रूपये—1,14,847/—, शिकायतकर्ता श्री संदीप कुमार के रूपये 1,02,300/—, शिकायतकर्ता सुश्री मंजू सिंह के रूपये—57,414/— व शिकायतकर्ता श्री अभिषेक सिंह के रूपये 49,999/— इनके खातों में वापस कराये गये।

साइबर अपराधों से बचाव हेत आवश्यक दिशा निर्देशः—

1- साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर 155260/112 पर दें जिससे धनराशि खाते में होल्ड करायी जा सके।
2- साइबर अपराध, एनसीआरपी पोर्टल की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

3- खाते में के०वाई०सी० अपडेट कराने के लिए बैंको द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी/ओटीपी/सीवीवी/पिन नम्बर नहीं मांगी जाती है।

4- किसी के कहने से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें।

5- किसी भी बेवसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जनकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह जाँच लें।

6- ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों व सरकारी विभाग/कम्पनियों के कस्टमर केयर का नम्बर आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें।

7- अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात मोबाइल नम्बर द्वारा भेजी गयी लिंक को क्लिक न करें।

8- सरकारी उपक्रम, वेबसाइट या फण्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही वित्तीय लेनदेन करें।

9- किसी से पैसा प्राप्त करते समय अपनी यूपीआई आईडी/पासवर्ड न डालें, पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।

10- वॉलेट अपडेट और केवाईसी नजदीकी ऑथराइज्ड सेन्टर पर जाकर ही करायें।

11- अपने सोशल एकाउन्ट व बैंक खातों का पासवर्ड स्ट्रांग बनायें, जिसमे नम्बर अक्षर व चिन्ह तीनो हो, साथ ही टू–स्टेप–वेरीफिकेशन लगाये रखे।

जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.09.2021 की रात्रि थाना बिन्दकी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ललौली चौराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अलीम उर्फ मुन्ना घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में सीएस एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद फतेहपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिन्दकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अलीम उर्फ मुन्ना निवासी काजी टोला थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कलान

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22/23.09.2021 की रात्रि थाना कलान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पट्टा देवकली चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1—आकाश 2—प्रेम उर्फ शिवम 3—रामनरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रेम उर्फ शिवम के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, अपहरण, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त आकाश के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त रामनरेश के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश निवासी फिरोजपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।

2—प्रेम उर्फ शिवम निवासी फिरोजपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।

3—रामनरेश निवासी अब्दुल्लानगर मिलकिया थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 23.09.2021 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दिल्ली सहारनपुर रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त किरणपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 882/2021 धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–किरणपाल निवासी महेशपुर चौपडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, हालपता चीलघर रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना मैलानी

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.09.2021 को थाना मैलानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेडवा पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मैलानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 337/2021 धारा 2/3 यू0 पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मैलानी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्जुन निवासी ग्राम सासिया कालोनी थाना मैलानी जनपद खीरी।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना पीजीआई

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये कीमत की 575 ग्राम अवैध मार्फीन**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 23.09.2021 को थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गजबरियन खेड़ा मार्ग से 03 मादक पदार्थ तस्करों 1–सलमान 2–मो0 असलम 3–रिजवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 35 लाख रूपये कीमत की 575 ग्राम अवैध मार्फीन, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सलमान निवासी ग्राम घघसी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

2–मो0 असलम निवासी ग्राम रजनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

3–रिजवान निवासी ग्राम लाइन थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 35 लाख रूपये कीमत की 575 ग्राम अवैध मार्फीन।

2– 01 स्विफ्ट डिजायर कार।

➢ **<u>जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को 05–05 वर्ष के कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिकरारा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में अभियक्तों 1– सन्तोष कुमार 2–नकुल राम 3–अमृतलाल उर्फ लल्लू को 05–05 वर्ष के कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

–––––